Annexure I

।ता।प ब्रह्म

PO-IRE
ADC/CEO

प्रेषक

निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा मे

1. समस्त अतिरिक्त उपायुक्त, हरियाणा
2. समस्त जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, हरियाणा

यादी क्रमांक 1/90–2008 एम0डी0एम0 (2)
दिनांक, चण्डीगढ़: 21-10-2008

D. R. D. A.
3198
18-11-08
JHAJJAR

विषयः– **मिड–डे–मील स्कीम का पुर्नगठन–योजना के अर्न्तगत खाद्य सामग्री क्रय करने बारे संशोधित दिशा–निर्देश।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

पिछले कई वर्षो से राज्य में राजकीय प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मिड–डे–मील स्कीम चलाई जा रही है तथा, यह स्कीम वर्ष 2008–09 से राजकीय माध्यमिक स्कूलों के बच्चों के लिए भी पूरे राज्य में आरम्भ की जा चूकी है। इस स्कीम के अर्न्तगत गेहूँ तथा चावल भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा कोन्फैड के माध्यम से सीधे स्कूलो में भिजवाया जाता है।

2. कुछ खाद्य सामग्री जैसे दाले, घी, नमक मसालें इत्यादि जिला के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी रेट कन्टैक्टसे द्वारा कोन्फैड के माध्यम से स्कूलों में भिजवाती है। हरी सब्जिया, ईन्धन, कुक के वेतन, इत्यादि का खर्चा स्कूल हैड टीचर/स्कूल हैड द्वारा किया जाता है, जिसके लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी समय–समय पर स्कूलों को राशि उपलब्ध करवाते है।

3. यह देखने में आया है कि उपरोक्त विधि से चलाई जा रही मिड–डे–मील स्कीम में कई प्रकार की कठिनाईयां आ रही है। स्कूलों को समय पर पैसा नही पहुंच पाता तथा दालों घी, नमक इत्यादि की गुणवता के बारे में भी शिकायतें प्राप्त होती रहती है।

इस समय सामने आ रही सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए है, जिनकी पालना 1 नवम्बर, 2008 से की जानी सुनिश्चित करे:–

(i) चावल तथा गेहूँ पहले की तरह ही भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कोन्फैड के माध्यम से सीधे स्कूलों में भिजवाया जाता रहेगा।

(ii) बाकी सभी प्रकार के खर्चे स्कूल स्तर पर, इस पत्र द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार, किए जाएंगे। जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता कमेटी अब मिड–डे–मील के अर्न्तगत किसी प्रकार की कोई खरीद नहीं करेगी। विभिन्न वस्तुएं जैसे दाले, सब्जियां, नमक घी, मसाले इत्यादि पर खर्चा सीधे स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा जिसके लिए बताए गए निर्देशो अनुसार समय–समय पर पैसा उपलब्ध करवाया जाता रहेगा।

जिला स्तर पर खाता

(iii) प्रत्येक जिला में एक मिड–डे–मील का संयुक्त खाता, उस बैंक में, जिसकी जिले मे सबसे अधिक शाखाएं हो, अतिरिक्त उपायुक्त तथा जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नाम पर खोला जाएगा।

(iv) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 4 तिमाही किस्तों में मिड–डे–मील के लिए पैसा उपरोक्त वर्णित अतिरिक्त उपायुक्त तथा जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा संचालित संयुक्त खाते में भेजा जाएगा।

यह संयुक्त खाता इस प्रकार से होगा कि इस में से कोई राशि किसी भी व्यक्ति द्वारा निकाली नही जा सकेगी। इस खाते से राशि केवल स्कूलो के खातो में स्थानान्तरित ही हो सकेगी तथा केश का लेन देन नही हो पाएगा। यह एक बार फिर दौहराया जाता है कि बैंको के साथ संयुक्त खाता खोलते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इस खाते में से कोई भी राशि अकेले या संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति निकाल नही सकेगा।

!v) सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी इन निर्देशों के जारी होने के सात दिन के अन्दर–2 अतिरिक्त उपायुक्त के सहायोग से जिले का मिड–डे–मील संयुक्त खाता खुलवा कर, बैंक की शाखा का नाम तथा बैंक खाता नम्बर इस निदेशालय को भेजगे। साथ ही साथ बैंक के साथ वह एग्रीमेन्ट जिसमें उपरोक्त दी गई सभी शर्ते शामिल हो, की कापी भी निदेशालय को भेजेगे।

स्कूल स्तर का खाता

(vi) यह उम्मीद की जाती है कि सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के पास पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्कूल तथा कक्षा वाईज़ गिनती की सूची पहले से ही उपलब्ध होगी। अगर यह सूची उनके पास उपलब्ध नही है तो वह इसे अगले सात दिन के अन्दर–2 प्राप्त कर ले। **" कई बार यह सूचना भी प्राप्त हुई है कि बच्चों की संख्या बढा कर बताई जाती है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके पास स्कूल वाईज़ पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बिल्कुल सही हो"**

(vii) अगले 15 दिन के अन्दर–2 सभी स्कूलों का एक मिड–डे–मील खाता नजदीक लगते बैंक में खोला जाए। यह खाता उसी बैंक मे खोला जएगा जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की स्टाईपण्ड स्कीम चलाई जा रही है।

(viii) स्कूल स्तर पर मिड–डे–मील खाता इस प्रकार से होगा की प्रत्येक माह जो मिड–डे–मील का खर्चा आने की सम्भावना है, अधिकतम उतना पैसा ही पूरे महीने में 2–3 किस्तों मे निकाला जा सकेगा। यह खाता स्कूल के हैड टीचर/स्कूल हैड तथा ग्राम शिक्षा कमेटी की एक महिला सदस्य के नाम से संयुक्त रूप से खोला तथा चलाया जाएगा। महिला पंच जिसके साथ संयुक्त खाता खोला जाएगा उसका चयन ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से पारित

प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा। शहरों में संयुक्त खाता चलाने के लिए जिस वार्ड में स्कूल स्थित है उसी वार्ड के म्युनिसिपल कमिशनर के तथा हैड टीचर/स्कूल हैड के नाम पर संयुक्त रूप से खोला तथा चलाया जाएगा।

(ix) जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त खाते से प्रत्येक स्कूल को एक तिमाही के लिए मिड–डे–मील की राशि निम्न फार्मूले के आधार पर स्कूल के खाते में राशि स्थानान्तरण करवायेगें।

"छात्र संख्या X 2.07 X उस मास में स्कूल लगने के दिन X 3"

ये पैसा स्थानान्तरण करने पश्चात् तुरन्त इस बारे त्रैमासिक रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाई जायेगी कि किस तिथि तथा किस बैंक ड्राफ्ट द्वारा बैंक को राशियां स्कूल खाते में स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये गये है। सभी प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने पास इस पत्र के साथ सलंग्न किए गए प्रपत्र अनुसार एक रजिस्ट्रर रखेगें जिस पर प्रत्येक त्रमासिक में प्रत्येक स्कूल को आबंटित राशि का लेखा जोखा नोट किया जाएगा।

कुछ बैंकों में अपनी शाखाओं में पैसा भेजने के लिए ईलैक्ट्रौनिक स्थानान्तरण सुविधा उपलब्ध है तथा कुछ मे यह सुविधा नही है। जहा पर ईलैकट्रौनिक सुविधा उपलब्ध है वहां जिस तिथि को तथा जिस पत्र अनुसार बैंकों का पैसा जारी करने की हिदायतें दी गई हो, तथा जहां पर यह सुविधा नही है वहा पर पैसा बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्कूल खाते के लिए भेजा जाएगा । परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित तिथि से पहले पैसा सभी स्कूलों को हर हालत में पहुच जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक त्रैमासिक का पैसा त्रैमासिक शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले स्कूल में पहुच जाए।

<u>स्कूल स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही</u> ।

(x) स्कूल इन्चार्ज भी अपने पास निर्धारित प्रोफोमा में सभी खर्चो का लेखा जोखा रखेगें। उन्हें निम्नलिखित निर्देश भी दिए जाते हैः–

क) कुक का वेतन माह के प्रथम सप्ताह में ही दे दिया जाए।

ख) खाना पकाने वाले बर्तनों तथा चूल्हों इत्यादि की खरीद पर खर्च एक ही बार तीन व्यक्तियों की कमेटी बनाकर अच्छी गुणवत्ता का सामान लेकर ही किया जाए। इस तीन व्यक्तियों की कमेटी में एक महिला पंच/म्युनिसिपल कमिशनर जिसके साथ संयुक्त खाता खुला है, हैड टीचर/स्कूल हैड तथा एक अन्य स्कूल का टीचर शामिल होने चाहिएं ।

ग) घी, नमक, मसाले, दाले इत्यादि सामान गांव अथवा शहर की किसी भी अच्छी पंसारी की दुकान से खरीद किए जाएं, जिसके लिए तीन–तीन महीनों का ठेका एक बार कर लिया जाएं । अगर गुणवता खराब आती है तो वह ठेका रद्ध कर दिया जाए।

ठेका इस प्रकार से किया जाए कि अगले 15 दिन में प्रयोग होने वाले सामान का स्कूल में स्टाक हो और समाप्त होने पर फिर अगले 15 दिन का सामान अपने आप पहुंच जाए।

यह ठेका भी उपरोक्त दी गई तीन सदस्यों की कमेटी करेगी तथा इसकी सूचना सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भी लिखित रूप में दे दी जाए तथा इसका रिकार्ड भी रखा जाए। शहर की सूचना म्युनिसिपल कमैटी के अध्यक्ष को भी दी जाएं ।

निदेशालय द्वारा सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों की स्कूल वाईज मांग मासिक आधार पर प्राप्त की जाएगी। इसका कम्पयूटरी कृत रिकार्ड भी रखा जाएगा। उनके द्वारा दी गई मासिक मांग अनुसार त्रैमासिक आधार पर पैसा रिलिज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पैसा सभी जिला में ईलक्ट्रोनिक स्थानान्तरण आधार पर त्रैमासिक शुरू होने से 15 दिन पहले पहुंच जाए ताकि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी सभी स्कूलों को वह पैसा समय से पहुचा सके।

निदेशालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी तथा स्कूल बताए गए निर्देशोनुसार पैसे के खर्चे का लेखा जोखा उचित रूप से रख रहे है तथा मिड–डे–मील स्कीम के तहत अच्छी गुणवता का खाना बच्चों को दिया जा रहा है। एक उच्च अधिकारी निदेशालय पर केवल मिड–डे–मील प्रोग्राम की देख रेख करने के लिए नियुक्त किया जाएगा जोकि निदेशक को समय–समय पर सूचित करेगा। निदेशक यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक माह मिड–डे–मील के खर्चे तथा इन निर्देशों की पालना के बारे में सरकार को मासिक आधार पर सूचना भेजेगे।

उपरोक्त निर्देश जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तथा फरीदाबाद खण्ड, तथा जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर खण्ड में, जहां इस्कान फूड रिलीफ फांउनडेशन द्वारा मिड डे मील वितरित किया जाता है, में लागु नहीं होंगें । इन तीन खण्डो में पहले की भान्ति ही मिड डे मील इस्कान फूड रिलीफ फांउनडेशन द्वारा बच्चों को दिया जायेगा।

अतिरिक्त निदेशक मिड–डे–मील
कृतेः निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृ0क्र0–सम–

दिनांक, चण्डीगढ़ 21-10-2008

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। उनसे अनुरोध है कि भविष्य में उपरोक्त दिशा निर्देश अनुसार मिड–डे–मील स्कीम को कार्यवान्वित किया जाए तथा यह हिदायतें सभी ग्रामीण शिक्षा समितियों के ध्यान में ला दी जायें।

1. राज्य परियोजना निदेशक राज्य शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा, चण्डीगढ़
2. निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणाा, चण्डीगढ़
3. सभी मण्डल आयुक्त, हरियाणा
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा
5. प्रबन्धक निदेशक, कोन्फैड, हरियाणा, चण्डीगढ़
6. सभी उपमण्डल अधिकारी (ना0), हरियाणा
7. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा

अतिरिक्त निदेशक मिड–डे–मील
कृतेः निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़